न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2014

जी.सी.एम.एस. : 2014/00177

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नगाराम पुत्र मूलाराम जाति सीरवी, निवासी धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. राजस्थान राज्य तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन 2. मूलाराम पुत्र चतराराम के कायम मुकाम 2/1 दलाराम पुत्र मूलाराम 2/2 चिमनाराम पुत्र मूलाराम 2/3 लालीबाई पत्नी सुजाराम 2/4 छगीयाबाई पत्नी कलाराम जतिगण सीरवी निवासीगण धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 3. केसाराम पुत्र दलाराम जाति सीरवी निवासी धनला, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 2/2 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम कुमार शर्मा।
4. रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 एवं 3 की ओर से अधिवक्ता श्री किशोर सिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 03/12/2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 2155 दिनांक 18.09.2013 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2/3 एवं 2/4 बावजूद सम्मन तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया ग्राम धनला के खसरा संख्या 1039 रकबा 1.7583 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि उभयपक्ष की पैतृक सम्पति थी, जिसमें उभयपक्ष के पूर्वज चतराराम बतौर खातेदार थे, जिसका गत खसरा संख्या 695, 699, 696, 697, 698 है। चतराराम के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

वंशवृक्ष में वर्णितानुसार चतराराम के पुत्र मुलाराम के 5 उत्तराधिकारी नगाराम, दलाराम, चिमनाराम पुत्र एवं लाली, छगीया थी, जिसमें मूलराम सहित सभी के 1/6–1/6 हक हिस्सा अधिकार सभी उत्तराधिकारियों के विधिनुसार निहित थे, इसलिये मूलाराम अकेले को सम्पूर्ण भूमि का हस्तान्तरण करने के अधिकार प्राप्त नहीं थे उसके उपरान्त भी मूलाराम ने अपने पुत्र दलाराम के पुत्र अर्थात् पौत्र केसाराम रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के पक्ष में वादग्रस्त खसरा संख्या 1039 की भूमि का बैचाण कर विक्रय विलेख दिनांक 16.05.2011 को निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया। उक्त बैचाण की जानकारी अपीलाण्ट को होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन में राजस्व वाद संख्या 441/2011 एवं राजस्व विविध प्रकरण संख्या 290/11 प्रस्तुत किये गये, जिसमें निर्णय दिनांक 14.09.2011 के द्वारा जैर आराजी का रेकर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये। बेचाण के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2155 में स्थगन की जानकारी होने पर रोक दिया गया। तत्पश्चात् एकाएक दिनांक 18.09.2013 को राजस्व वाद संख्या 290/2011 खारिज होने का इन्द्राज कर दिनांक 18.09.2013 को नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया, जिसमें अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलाण्ट ने बेचाणनामा दिनांक 16.05.2011 को निरस्त करवाने हेतु जिला न्यायाधीश महोदय, पाली के समक्ष वाद संख्या 6/2014 नया नम्बर 58/2015 नगाराम बनाम मूलाराम पेश किया, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 02.04.2016 के द्वारा विवादित विक्रय विलेख दिनांक 16.05.2011 की कृषि भूमि वाके सरहद मौजा धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन के खाता संख्या 586 खसरा संख्या 1039 रकबा 1.7583 हैक्टैयर के 5/6 हिस्से तक के विक्रय को शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया गया। जिससे स्पष्ट है कि जिस बेचाणनामें के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया यगा है, वह बेचाण ही सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है, ऐसी दशा में अपीलाधीन नामान्तरकरण बहाल रखे जाने योग्य नहीं होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है। इस प्रकार मूलाराम द्वारा अपने नोशनल शेयर से अधिक भूमि का विक्रय किये जाने को माननीय जिला न्यायालय, पाली द्वारा अपास्त करने के कारण अपीलाधीन नामान्तरकण खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2/2 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी उभयपक्ष की पुश्तैनी सम्पति थी, जिसमें अपीलाण्ट का भी हक अधिकार था। इसलिये रेस्पोडेण्ट संख्या 2 मूलाराम को जैर आराजी का विक्रय किये जाने का कोई अधिकार नहीं था, उसके उपरान्त भी उन्होनें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जैर आराजी का बेचान कर दिया एवं उसका जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 एवं 3 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन में मूल वाद संख्या 441/11 एवं राजस्व विविध संख्या 290/11 में यथास्थिति के आदेश दिये गय थे तथा उक्त वाद वर्तमान में निर्णित हो चुका है और न ही इस आदेश की अपील हुई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने जैर आराजी का बेचान रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के पक्ष में कर दिया है। जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

नामान्तरकरण वर्ष 2013 में स्वीकृत हुआ था, जिसकी अपीलाण्ट को जानकारी थी इसलिये जैर अपील म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 2155 दिनांक 18.09.2013 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उभयपक्ष अधिवक्तागण के कथनों पर गौर किया गया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। हस्तगत प्रकरण में विवादस्त नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह पाते है कि पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 16.05.2011 की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 290/11 में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2013 के आधार पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा दिनांक 18.09.2013 को जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया।

अपीलाण्ट द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 16.05.2011 को निरस्त करवाने हेतु माननीय अपर जिला न्यायालय, पाली में प्रकरण संख्या 6/2014 पेश किया, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 02.04.2016 में मूलाराम द्वारा केसाराम के पक्ष में दिनांक 16.05.2011 को कृषि भूमि वाके सरहद मौजा ग्राम धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली खाता संख्या 586 खसरा संख्या 1039 रकबा 1.7583 हैक्टेयर के 5/6 हिस्से तक के विक्रय को शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया गया है। नामान्तरकरण एक समरी प्रोसेंड़िग होती है, जो किसी आदेश की पालना में भरा जाता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण, जिस पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत किया गया है, उस पंजीबद्ध विक्रय विलेख को ही सक्षम न्यायालय द्वारा शुन्य व प्रभावहीन घोषित कर दिया है तो ऐसी स्थिति में जैर नामान्तरकरण स्वतः ही एबेट होने से भी खारिज योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 2155 दिनांक 18.09.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner